(147)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

35 रा० (विभाग)

सं0सं0–म0नि0-II-उ0यो0-72/2019-20/ /मत्स्य, रॉची, दिनांक 27/02/2020

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, रॉची।

'अनौपचारिक रुप द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार'।
से परामर्शित

विषय– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मॉग संख्या–53–मुख्य शीर्ष 4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के बजट उपबंध के अंतर्गत मो0 480.00 लाख (चार करोड़ अस्सी लाख) रु0 मात्र राज्यांश मद से तथा मो0 720.00 लाख (सात करोड़ बीस लाख) रु0 मात्र केन्द्रांश मद से अर्थात् कुल मो0 1200.00 लाख (बारह करोड़) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर केन्द्र प्रायोजित ब्लू रेभोल्यूशन योजना अन्तर्गत मछुआ आवास निर्माण की स्वीकृति के संबन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं0–08 दिनांक 24.05.2016 एवं ऑनलाईन विभागीय राज्यादेश सं0–679 तथा 680 दिनांक 24.05.2016 एवं विभागीय राज्यादेश सं0 15 दिनांक 06.10.2016 के कम में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में मॉग संख्या–53 मुख्य शीर्ष 4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के बजट उपबंध के अंतर्गत मो0 480.00 लाख (चार करोड़ अस्सी लाख) रु0 मात्र राज्यांश मद से तथा मो0 720.00 लाख (सात करोड़ बीस लाख) रु0 मात्र केन्द्रांश मद से अर्थात् कुल मो0 1200.00 लाख (बारह करोड़) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर केन्द्र प्रायोजित ब्लू रेभोल्यूशन योजना के अंतर्गत मछुआ आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना में कुल 1000 पक्का मछुआ आवासों के निर्माण का लक्ष्य है।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में मुख्य शीर्ष 4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय–उप शीर्ष–74–ब्लू रेभोल्यूशन योजना अंतर्गत कुल भारित मो0 1200.00 लाख (बारह करोड़) रू0 मात्र का व्यय निम्न लघु शीर्षो के अनुरुप किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना

उदव्यय एवं बजट उपबंध झारखण्ड आकस्मिकता निधि से प्राप्त हैः–

राज्यांश मद का स्वीकृत बजट उपबंध एवं स्वीकृत राशि :– (राशि लाख रू0 में)

क्र0	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय–उप शीर्ष–74–ब्लू रेभोल्यूशन योजना	बजट उपबंध	झारखण्ड आकस्मिकता निधि से प्राप्त बजट उपबंध	कुल बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष उपबंध
i.	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन– विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53 S 4405 00 101740545	8.10	240.00	248.10	240.00	8.10
ii.	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53 S 4405 00 789740545	0.00	120.00	120.00	120.00	शून्य
iii.	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53 S 4405 00 796740545	0.00	120.00	120.00	120.00	शून्य
	कुल	8.10	480.00	488.10	480.00	8.10

केन्द्रांश मद का स्वीकृत बजट उपबंध एवं स्वीकृत राशि :– (राशि लाख रू0 में)

क्र0	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय–उप शीर्ष–74–ब्लू रेभोल्यूशन योजना	बजट उपबंध	झारखण्ड आकस्मिकता निधि से प्राप्त बजट उपबंध	कुल बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष उपबंध
i.	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन– विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53 C 4405 00 101740545	8.10	360.00	368.10	360.00	8.10
ii.	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53 C 4405 00 789740545	0.00	180.00	180.00	180.00	शून्य
iii.	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53 C 4405 00 796740545	0.00	180.00	180.00	180.00	शून्य
	कुल	8.10	720.00	728.10	720.00	8.10

केन्द्रांश एवं राज्यांश मद से कुल स्वीकृत राशि मो0 1200.00 लाख (बारह करोड़) रू0 मात्र।

3. (क) यह एक चालू केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केन्द्रांश मद से 60 प्रतिशत तथा राज्यांश मद से 40 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाना है।

(ख) भारत सरकार के निदेश के क्रम में योजना के कार्यान्वयन हेतु आवास का निर्माण कम–से–कम 10 के क्लस्टर में किया जायेगा। 25 का क्लस्टर अच्छा होगा।

4. लाभुकों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा क्लस्टर में किया जाएगा। चयन समिति में संबंधित जिले के माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होगें।

5. योजना की मार्ग–दर्शिका के अनुरुप लाभुकों का चयन निम्न प्रकार से किया जाना है:

i. सक्रिय अथवा परंपरागत मत्स्य पालक/मछुआ जो मत्स्य उत्पादन/मत्स्य बीज उत्पादन/प्राकृतिक जल संसाधनों में मछली पकड़ने/मत्स्य बिक्री में सक्रिय हों।

ii. प्राथमिकता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एवं भूमिहीन मछुआ/मत्स्य पालक को दी जायेगी।

iii. घर हेतु जमीन उपलब्ध रहने तथा कच्चा घर वालों को भी कंडिका (i) एवं (ii) के अतिरिक्त लाभान्वित किया जा सकता है। एक परिवार में एक आवास देय है। आवश्यकतानुसार पति–पत्नी के संयुक्त नाम से स्वीकृति दी जायेगी।

iv. ऐसे लाभुकों को दोबारा लाभ नहीं दिया जायेगा, जो पूर्व संचालित विभागीय मछुआ आवास योजना अथवा इन्दिरा आवास या समतुल्य केन्द्र/राज्य सरकार की आवास योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में एक लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो। लाभुकों की अर्हता की जाँच स्वयं संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी निर्धारित मापदंड पर करेंगे।

v. इस योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कोटिवार निर्धारित लक्ष्य एवं विमुक्त राशि के आलोक में लघु शीर्ष–789 में मात्र अनुसूचित जाति कोटि के लाभुकों का, लघु शीर्ष –796 में अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभुकों का तथा लघु शीर्ष–101 में मात्र सामान्य कोटि के लाभुकों का ही चयन किया जाना है।

vi. इस योजना के तहत् चयनित लाभुकों द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासों का Geo Tagging कराना सुनिश्चित किया जाए।

6. (क) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (इंदिरा आवास) के मानक प्राक्कलन के आधार पर आवास निर्माण का कार्य लाभुकों के द्वारा स्वयं कराया जाएगा। लाभुक आवश्यकतानुसार छत ढलवां अथवा समतल रख सकते हैं। आवास निर्माण हेतु अधिकतम प्रति लाभुक मो0 1,20,000/– (केन्द्रांश–72,000/– तथा राज्यांश–48,000/–) रू0 की आर्थिक सहायता होगी। पक्का आवासों का निर्माण मछुआरों की निजी जमीन पर कराया जाएगा। इसके लिए एकाउंट स्थानांतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभुक मछुआरों के बैंक खाते में राशि उपलबध करायी जाएगी।

(ख) सक्षम प्राधिकार से चयनित लाभुकों के लिए बैंक से राशि की निकासी हेतु जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा विमुक्ति का आदेश निम्न रूप से कार्य की प्रगति के अनुसार किया जाएगा :

(i) प्लिंथ स्तर (20%) (ii) छत स्तर (15%)

(iii) छत ढलाई/निर्माण (40%) (iv) फिनिशिंग हेतु राशि दी जायेगी (25%)

(ग) योजना स्थल का चयन, योजना की Feasibility एवं सफलता का दायित्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा। लाभुक अपना contribution कर घर की गुणवत्ता ठीक करेंगे।

(145)

7. लघु शीर्षवार जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है –

(क) माँग सं0–53–मत्स्य–मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–74–ब्लू रेमोल्यूशन योजना (केन्द्रांश–60 : राज्यांश–40)

क्र0	जिला का नाम	(राज्यांश) विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53S440500101740545 (केन्द्रांश) विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53C440500101740545		
		कुल भौतिक लक्ष्य (सं0 में) (सामान्य कोटि के लाभुकों के लिए मात्र)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
			राज्यांश	केन्द्रांश
~~1~~	~~पलामू~~	~~80~~	~~38.40~~	~~57.60~~
2	गढ़वा	40	19.20	28.80
3	हजारीबाग	40	19.20	28.80
4	रामगढ़	40	19.20	28.80
5	कोडरमा	35	16.80	25.20
6	बोकारो	40	19.20	28.80
7	धनबाद	40	19.20	28.80
8	गिरिडीह	35	16.80	25.20
9	चतरा	35	16.80	25.20
10	देवघर	80	38.40	57.60
11	गोड्डा	35	16.80	25.20
	कुल योग :	**500**	**240.00**	**360.00**

(ख) माँग सं0–53–मत्स्य–मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–74–ब्लू रेमोल्यूशन योजना (केन्द्रांश–60 : राज्यांश–40)

क्र0	जिला का नाम	(राज्यांश) विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53S440500789740545 (केन्द्रांश) विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53C440500789740545		
		कुल भौतिक लक्ष्य (सं0 में) (अनु0 जाति कोटि के लाभुकों के लिए मात्र)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
			राज्यांश	केन्द्रांश
1	राँची	15	7.20	10.80
2	खूंटी	10	4.80	7.20
3	गुमला	5	2.40	3.60
4	सिमडेगा	5	2.40	3.60
5	लोहरदगा	5	2.40	3.60
6	लातेहार	5	2.40	3.60
7	पलामू	15	7.20	10.80
8	गढ़वा	15	7.20	10.80

9	पूर्वी सिंहभूम	5	2.40	3.60
10	पश्चिमी सिंहभूम	5	2.40	3.60
11	सरायकेला	10	4.80	7.20
12	हजारीबाग	10	4.80	7.20
13	रामगढ़	10	4.80	7.20
14	कोडरमा	10	4.80	7.20
15	बोकारो	20	9.60	14.40
16	धनबाद	15	7.20	10.80
17	गिरिडीह	15	7.20	10.80
18	चतरा	10	4.80	7.20
19	देवघर	30	14.40	21.60
20	दुमका	5	2.40	3.60
21	जामताड़ा	10	4.80	7.20
22	पाकुड़	5	2.40	3.60
23	साहेबगंज	5	2.40	3.60
24	गोड्डा	10	4.80	7.20
कुल योग :		**250**	**120.00**	**180.00**

(ग) मॉग सं0–53–मत्स्य–मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–74–ब्लू रेभोल्यूशन योजना (केन्द्रांश–60 : राज्यांश–40)

क0	जिला का नाम	(राज्यांश) विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- **53S440500796740545** (केन्द्रांश) विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण-45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- **53C440500796740545**		
		कुल भौतिक लक्ष्य (सं0 में) (अनु0 जनजाति कोटि के लाभुकों के लिए मात्र)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	
			राज्यांश	केन्द्रांश
1.	रॉची	30	14.40	21.60
2	खूंटी	15	7.20	10.80
3	गुमला	15	7.20	10.80
4	सिमडेगा	15	7.20	10.80
5	लोहरदगा	15	7.20	10.80
6	लातेहार	15	7.20	10.80
7	पूर्वी सिंहभूम	15	7.20	10.80
8	पश्चिमी सिंहभूम	25	12.00	18.00
9	सरायकेला	30	14.40	21.60
10	दुमका	25	12.00	18.00

143

11	जामताड़ा	15	7.20	10.80
12	पाकुड़	15	7.20	10.80
13	साहेबगंज	20	9.60	14.40
	कुल योग :	**250**	**120.00**	**180.00**

(घ) इस योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद की स्वीकृत राशि का आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अन्तर्गत किया जायेगा तथा विमुक्त केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश मद की राशि व्यय की जायेगी।

8. लाभुकों के चयन के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक स्थल की जाँच तथा लाभुकों के आवेदन में वर्णित तथ्यों की छानबीन कर संतुष्ट हो लेंगे। लाभुक की सूची/उसके फोटोग्राफ/स्थायी पता/खाता–खेसरा जिसपर आवास निर्माण हो रहा है उसका ब्यौरा पंजी में संधारित करेंगे। Ground reality से मेल नहीं पाने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी दोषी होंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संपर्क कर स्वच्छता हेतु शौचालय निर्माण का प्रयास करेंगे।

लाभान्वितों के संबंध में प्रत्येक जिला मत्स्य कार्यालय में फोल्डर संधारित कर रखे जायेंगे, जिनमें उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधा से उनकी दशा में आये सुधार का वर्णन रहेगा। योजना के लाभुक का नाम, ब्यौरा, पूर्व, वर्तमान आवास फोटो, अभिलेख अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा जिला Website पर भी डालेंगे।

9. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/चाईबासा/जमशेदपुर/गुमला/लोहरदगा/पलामू/गढ़वा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/धनबाद/बोकारो/हजारीबाग/गिरिडीह/देवघर/चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसॉवा/सिमडेगा/लातेहार/जामताड़ा/पाकुड़/रामगढ़/खूँटी एवं कोडरमा होंगे, जो उपरोक्त कंडिका में दर्शाये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य एवं सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

10. यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें राज्यांश 40 प्रतिशत एवं केन्द्रांश 60 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस चालू योजना हेतु भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्रांक F.No. 12012/11/2009-Fy(WU) दिनांक 07.01.2019 द्वारा 1000 पक्का मछुआ आवासों (अनुसूचित जाति कोटि के 250 आवास, अनुसूचित जनजाति कोटि के 250 आवास तथा सामान्य कोटि के 500 आवास) के निर्माण हेतु क्रमशः 180.00 लाख रू0, 180.00 लाख रू0 तथा 360.00 लाख रू0 अर्थात् कुल मो0 720.00 लाख रू0 मात्र विमुक्त किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु इस राशि को भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्रांक F.No.J-18001/1/2017-Fy दिनांक 25.04.2019 द्वारा पुनर्वैधिकृत किया गया है।

11. वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना में राज्यांश एवं केन्द्रांश मिलाकर (केज कल्चर एवं आर0एफ0एफ0 अधिष्ठापन हेतु पुनर्वैधिकृत राशि, निजी क्षेत्र में आर0ए0एस0 निर्माण हेतु पुनर्वैधिकृत राशि तथा नए खुदरा मत्स्य बाजार निर्माण हेतु विमुक्त राशि सहित) कुल मो0 729.542 लाख रु0 मात्र व्यय हुए हैं। नए खुदरा मत्स्य बाजार निर्माण हेतु राशि पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से देवघर तथा जमशेदपुर जिले के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई गई है। राशि का समायोजन लंबित नहीं है। इस योजना का अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र (आर0ए0एस0 तथा नए खुदरा मत्स्य बाजार निर्माण को छोडकर) पत्रांक 1849 दिनांक 21.08.2019 द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित है।

12. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

13. वित्तीय वर्ष 2018–19 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के पश्चात् निदेशक मत्स्य द्वारा आवंटन निर्गत किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17–04–98 एवं लोक निर्माण संहिता द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के संलेख ज्ञापांक–1302/मत्स्य, दिनांक 04.10.2019 में सन्निहित इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की दिनांक 15.10.2019 को सम्पन्न बैठक में मद सं0–05 के रूप में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने एवं योजना की स्वीकृति प्राप्त है।

18. स्वीकृत राशि हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 35रा0(विभाग) मत्स्य / रॉंची, दिनांक 27/02/2020

प्रतिलिपि सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 35रा0(विभाग) मत्स्य / रॉंची, दिनांक 27/02/2020

प्रतिलिपि जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉंची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

(141)

ज्ञापांक 35 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 27/02/2020

प्रतिलिपि योजना एवं वित्त विभाग (बजट शाखा एवं योजना शाखा) झारखण्ड, राँची / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी उप विकास आयुक्त / सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव